# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमिताभ कौशिक
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 66/2015

उनवान :–

नारायण पुत्र श्योनाथ जाति धानका, निवासी जोधपुरा (प्रागपुरा) तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
अपीलान्ट

बनाम

1. मामकोरी पुत्री मूला
2. अमरचन्द पुत्र मूला जाति बलाई, निवासी जोधपुरा (प्रागपुरा) तहसील कोटपूतली।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली।

रेस्पोन्डेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 12/10/2015 अन्तर्गत प्रकरण मामकोरी बनाम नारायण वगैरा अन्तर्गत धारा 183 बी. राजस्थान टीनेन्सी एक्ट।

## निर्णय

दिनांक 10/4/2017

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित अपील अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कोटपूतली द्वारा प्रकरण संख्या 67/2012 बउनवानी मामकोरी बनाम नारायण आदि बाबत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 12/10/2015 से रूष्ट होकर जर्ये अधिवक्ता न्यायालय हाजा में दिनांक 16/11/2015 को इस अमर की प्रस्तुत की कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 687 रकबा एक बीधा 5 बिस्वा, 678 रकबा 15 बीधा 3 बिस्वा व 679 रकबा एक बीधा 11 बिस्वा वाके मौजा किराडोद के खातेदार काश्तकार प्रार्थीया तथा तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 के पिता से उसकी समस्त खातेदारी की भूमि दिनांक 31/5/1965 को अपीलान्ट द्वारा उचित प्रतिफल रूपये 3900/– अदा कर जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र की जाकर कब्जा प्राप्त कर लिया था तभी से निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु सहवन से एक खसरा नम्बर 687 जिसके हाल नये खसरा नम्बर 1021 बने हैं लिखने से रह गये। जबकि उक्त आराजीयात पर प्रार्थी/अपीलान्ट क्रय के समय से ही करीब 48 वर्षो से बतौर खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा हैं तथा उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन है, जिसे अब डिस्पजेज नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बउनवानी मामकोरी बनाम नारायण वगैरा बाबत धारा 183 बी. राज0 टीनेन्सी एक्ट में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कोटपूतली द्वारा समस्त रेवेन्यू रिकॉर्ड, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड को नजर अन्दाज करके उक्त मामलें को हरिजन अत्याचार का मामला बनाकर कानून द्वारा बनाये गये स्पेशल विशिष्ट धाराओं के तहत प्रदत्त क्षेत्राधिकार का पूर्णतया दुरूपयोग कर मियाद बाहर प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र पर मनमाना आदेश दिनांक 12/10/2015 प्रदान कर कानूनी भूल की है, जो काबिले मन्सूखी है।
2. अपील अन्दर मियाद एवं निर्धारित कोर्ट फीस पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 12/10/2015 निरस्त कर विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 1021/0.32 हैक्टर वाके मौजा किराडोद की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट के नाम दर्ज कराई जावे।
3. अपील प्रस्तुत होने रिपोर्ट सरिस्ता ली गई तथा प्रकरण काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स की सुनवाई के लिए जर्ये सम्मन तल्बी जारी करवाई गयी।
4. रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 जर्ये अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 जर्ये पैरोकार सरकार हाजिर अदालत आये। प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत दफा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्षों को सुना जाकर प्रकरण को तकनीकी कारणों से खारिज नां कर प्रकरण में उभयपक्षों को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

गुणावगुण पर सुनकर निस्तारित किये जाने का दिनांक 9/5/2016 को आदेश पारित कर उभयपक्षों की बहस समाअत की गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपनी अपील में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के तथ्यो एवं उसमें प्रस्तुत रिकॉर्ड व शाहदत को इंगित करते हुए प्रकरण को मैरिट पर निस्तारित किये जाने की इस्तदुआ की।

6. योग्य अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने बहस का जवाब देते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड एवं तथ्यों की पूर्ण विवेचना कर विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट मय हर्जा खर्चा खारिज की जावे।

7. हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया तथा प्रकरण के तथ्यों एवं आक्षेपित निर्णय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड शाहदत का भलि–भांति अध्ययन कर मनन किया। मूल रूप से अपीलान्ट द्वारा भूमि क्रय करने तथा क्रय की गई विवादित भूमि पर करीब 48 वर्षो से अपना निरन्तर कब्जा काश्त होना बताकर अपनी खातेदारी एडवर्स पजेशन के आधार पर क्लेम की है। अपीलान्ट एवं उनके विज्ञ अभिभाषक का कहना था कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने साबिक आराजी खसरा नम्बर 687 रकबा एक बीधा 5 बिस्वा, 678 रकबा 15 बीधा 3 बिस्वा व 679 रकबा एक बीधा 11 बिस्वा वाके मौजा किराडोद के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार मरहूम मूल्या पुत्र लादू चमार निवासी ग्राम जोधपुरा से उचित प्रतिफल अदाकर जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 31/5/1965 ई0 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था, जिस पर वे आज भी काबिज काश्त है। परन्तु सहवन से विक्रित साबिक आराजी खसरा नम्बर 687 जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 1021/0.32 हैक्टर वाके मौजा किराडोद बरामद हुए है सहवन से विक्रय–पत्र में दर्ज किये जाने से रह गया, जबकि उक्त आराजीयात पर भी वे बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है, जिससे उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता है।

8. उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड शाहदत व दस्तावेजात से विदित है कि मामला एक चमार जाति (अनुसूचित जाति वर्ग) के सदस्य की धारित खातेदारी की भूमि को एक धानका जाति (अनुसूचित जन जाति संवर्ग) के सदसय के नाम खातेदारी हस्तान्तरण से सम्बन्धित है। जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के सदस्य की खातेदारी की भूमि दीगर समुदाय संवर्ग के नाम हस्तान्तरित की जाने की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के अन्तर्गत बाध्यता है। तद्नुसार प्रथमतः तो अपीलान्ट द्वारा एक चमार जाति जो कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है, उसकी खातेदारी की भूमि दीगर संवर्ग धानका जाति जो कि अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में आती के द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र क्रय की गई है। इसलिए उक्त रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 31/5/1965 के अधार पर भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के अन्तर्गत दीगर समुदाय संवर्ग के व्यक्ति के नाम खातेदारी अहस्तान्तरणीय होने की वजह से अपीलान्ट के हक में स्वीकार योग्य नहीं है। यदि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के आधार पर क्रेता अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज भी करदी गई तो भी वह गैर कानूनी एवं अवैध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

9. द्वितीयतः विवादित साबिक आराजी खसरा नम्बर 687 रकबा एक बीधा 5 बिस्वा वाके मौजा किराडोद तो अपीलान्ट के हक में पंजीबद्व करवाये गये विक्रय–पत्र दिनांक 31/5/1965 में भी उल्लेखित नहीं है, जिससे यह विवादित आराजीयात तो विक्रित होना भी प्रकट नहीं होती है। अपीलान्ट यदि उक्त विवादित आराजीयात पर काबिज है तो वह केवल एक अतिक्रमी की हैशियत से ही है, जिसे बेदखल किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में रिकॉर्ड दस्तावेजात का परीक्षण कर कानूनी प्रावधानों के अनुरूप विधि सम्मत आदेश प्रदान किये है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना वाछनीय नहीं है।

10. तृतीयतः अपीलान्ट व उसके विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन था कि विवादित आराजीयात पर करीब 48 सालों से लगातार उनका कब्जा काश्त हैं, इसलिए उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन होने से भी उन्हें बेदखल (डिस्पजेज) नहीं किया जा सकता। परन्तु उनके द्वारा उक्त विवादित आराजीयात पर अपना विधिक रूप से कब्जा काश्त होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड शाहदत प्रस्तुत नहीं की एवं ना ही कोई न्यायिक दृष्टान्त उद्वत किये। जहां तक एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की अवधारणा होने का प्रश्न है, वह तो परीक्षण न्यायालय से ही विनिश्चय होना है, जिसके सम्बन्ध में स्वयं अपीलान्ट ने ही सक्षम न्यायालय सहायक कलेक्टर, कोटपूतली में एक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

वाद संख्या 263/2012 बउनवानी नारायण बनाम अमरसिंह आदि बाबत घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाना जाहिर किया है, जिसमें गुणावगुण के आधार पर खातेदारी अधिकार तैय होने है। इसलिए उक्त प्रकरण में इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

11. उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कोटपूतली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12/10/2015 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से यथावत बहाल रखा जाता है। साथ ही लैण्ड होल्डर तहसीलदार, कोटपूतली को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे साबिक आराजी खसरा नम्बर 678 रकबा 15 बीधा 3 बिस्वा व 679 रकबा एक बीधा 11 बिस्वा स्थित ग्राम किराडोद से बरामद हुए हाल आराजी खसरा नम्बरान के भी अनुसूचित जाति संवर्ग की व्यक्ति की खातेदारी भूमि दीगर संवर्ग अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति अपीलान्ट के हक में जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 31/5/1965 के द्वारा बेचान कर धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरीत खातेदारी अधिकारों के गैर कानूनी रूप से अवैध हस्तान्तरण एवं कब्जे काश्त को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जयपुर के माध्यम से डी.एल.आर. से विधिक राय लेकर उक्त आराजीयात को सिवायचक घोषित करवाकर कब्जे राज में लेने की विधि सम्मत नियमानुसार अपेक्षित प्रभावी कार्यवाही की जाना सुनिश्चित कर अवगत करावें। तद्नुसार तहसीलदार, कोटपूतली को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

12. निर्णय आज दिनांक 10/04/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अमिताभ कौशिक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)